प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 10.02.2026

मानवता की जीत: पुलिस की सतर्कता से नवजात शिशु सकुशल बरामद, 07 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, सर्विलांस प्रभारी श्री अभिमन्यु सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 10.02.2026 को कुल 07 अभियुक्तगणो को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना विवरण- दिनांक 09.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 08.02.2026 को समय लगभग सायं 05:00 बजे, जब वादिनी नरायनपुर से बाजार कर जंगल के रास्ते अपने घर वापस जा रही थी और अपने गांव के निकट पहुँची ही थी, तभी रास्ते में पीछे से आए एक अज्ञात पुरुष एवं एक अज्ञात महिला ने वादिनी की गोद में मौजूद उसका लगभग 01 माह का नवजात शिशु छीन लिया तथा जंगल की ओर भाग गए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 28/2026, धारा 140(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर नवजात शिशु की बरामदगी करने हेतु निर्देशित किया गया था।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 143(4),3/5 बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- राजेश यादव पुत्र रंगलाल निवासी भलुआं थाना तरैंया जनपद छपरा बिहार राज्य वर्तमान पता विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- संगीता पत्नी राजेश यादव निवासी बिधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- राजकुमार पुत्र मोहरत निवासी मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- पिन्टू पुत्र नेबूलाल निवासी वार्ड न0 8 बेलहर खुर्द न0प0 बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
- चन्दन जायसवाल पुत्र भजनलाल निवासी वार्ड न0 11 गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मोहिनी जायसवाल पत्नी चन्दन जायसवाल निवासी वार्ड नं0 11 गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- सत्यप्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासी हयातगंज उत्तरी वार्ड न0 15 थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- नवजात शिशु
- एक लाख साठ हजार रुपये नगद
- एक अदद कार
- एक अदद मोटरसाईकिल

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश यादव द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी संगीता, मोहिनी जायसवाल के घर नौकरानी का काम करती है। मोहिनी ने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल की शादी 10-12 वर्ष पूर्व हुई है, परन्तु उनके पत्नी को कोई बच्चा नही हो रहा है, अगर

कोई नवजात शिशु दिलवा दो तो मै तुम्हे मुहमांगी कीमत दुंगी, इसी बात को लेकर मेरी पत्नी संगीता ने अपने बहन के लड़के पिन्टू से बात की थी, तो पिन्टू ने ग्राम जंगल बेलहर के रहने वाले फूलचन्द को एक माह पूर्व हुए नवजात शिशु को खरीदने हेतु कहा तो फूलचन्द ने पिन्टू को मना कर दिया तो पिन्टू ने उक्त बात मुझे तथा मेरी पत्नी संगीता को बताया। तब पैसे के लालच मे मैं तथा मेरी पत्नी एंव मेरे साढ़ू राजकुमार दिनांक 08.02.2026 को नरायनपुर पंहुचे वहां पर योगी बारी पुत्र रमेश निवासी छितौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व पिन्टू मिले। उसी समय फूलचन्द की पत्नी अपने नवजात बच्चे व तीन साल की एक लड़की के साथ बाजार आयी थी तो वहीं से हम लोगो ने योजना बनाकर मोटरसाईकिल से निकले तथा जंगल के पहले राजकुमार गाड़ी खड़ी कर रुक गया तथा मैं व मेरी पत्नी जंगल में आगे जाकर आड़ लेकर छिप गये कुछ देर बाद फूलचन्द की पत्नी जब हम लोगो के पास पहुंची तो नवजात शिशु उनसे छीन कर भाग गये। आगे आकर राजकुमार मोटरसाईकिल के साथ खड़ा था। हम तीनो लोग उसी मोटरसाईकिल से नवजात शिशु को लेकर राजकुमार के घर मैलानी जाकर रातभर रुके। मेरी पत्नी ने मोहिनी जायसवाल को बताया कि आपका काम हो गया है आप पैसा देकर के बच्चे को ले जाईये। बालू शासन पुल के पास नवजात शिशु को मोहिनी जायसवाल, चन्दन व अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल के साथ नवजात शिशु को लेने आयी थी। नवजात शिशु व पैसे का लेन देन कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 अनूप कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 अरूण हलवाई।
- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ शर्मा, हे0का0 राजीव सिंह यादव, का0 राहुल कुमार, का0 बृजेश सिंह, का0 रोहित कुमार, म0का0 बैष्णवी शुक्ला, म0का0 अंजूलता।
- सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह, का0 ज्ञान प्रकाश सिंह, का0 अमरजीत मौर्या, का0 नितीश कुमार।
- महिला थाना प्रभारी श्रीमती पूनम मौर्या, म0का0 विनीता सिंह।

सराहनीय पुलिस कार्यवाही, जनपद संतकबीरनगर

दिनांक: 10.02.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में एसओजी टीम, सर्विलांस सेल, थाना बेलहरकला पुलिस टीम द्वारा व्यपहरण का सफल अनावरण किया गया।

घटना विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 09.02.2026 को वादिनी द्वारा थाना बेलहरकला पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 08.02.2026 को समय लगभग सायं 05:00 बजे, जब वादिनी नरायनपुर से बाजार कर जंगल के रास्ते अपने घर वापस जा रही थी और अपने गांव के निकट पहुँची ही थी, तभी रास्ते में पीछे से आए एक अज्ञात पुरुष एवं एक अज्ञात महिला ने वादिनी की गोद में मौजूद उसका लगभग 01 माह का नवजात शिशु छीन लिया तथा जंगल की ओर भाग गए। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 28/2026, धारा 140(1) बीएनएस के अंतर्गत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर नवजात शिशु की बरामदगी करने हेतु निर्देशित किया गया था। आज दिनांक 10.02.2026 को कुल 07 अभियुक्तगणो को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 143(4),3/5 बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- राजेश यादव पुत्र रंगलाल निवासी भलुआं थाना तरैंया जनपद छपरा बिहार राज्य वर्तमान पता विधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- संगीता पत्नी राजेश यादव निवासी बिधियानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- राजकुमार पुत्र मोहरत निवासी मैलानी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- पिन्टू पुत्र नेबूलाल निवासी वार्ड न0 8 बेलहर खुर्द न0प0 बेलहरकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
- चन्दन जायसवाल पुत्र भजनलाल निवासी वार्ड न0 11 गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मोहिनी जायसवाल पत्नी चन्दन जायसवाल निवासी वार्ड नं0 11 गोरखल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- सत्यप्रकाश जायसवाल पुत्र स्व0 अमरनाथ निवासी हयातगंज उत्तरी वार्ड न0 15 थाना टांडा जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- नवजात शिशु
- एक लाख साठ हजार रुपये नगद
- एक अदद कार
- एक अदद मोटरसाईकिल

आगामी कार्रवाई:-

कुल 07 अभियुक्तगणो को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश यादव द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी संगीता, मोहिनी जायसवाल के घर नौकरानी का काम करती है। मोहिनी ने बताया कि मेरे एक रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल की शादी 10-12 वर्ष पूर्व हुई है, परन्तु उनके पत्नी को कोई बच्चा नही हो रहा है, अगर कोई नवजात शिशु दिलवा दो तो मै तुम्हे मुहमांगी कीमत दुंगी, इसी बात को लेकर मेरी पत्नी संगीता ने अपने बहन के लड़के पिन्टू से बात की थी, तो पिन्टू ने ग्राम जंगल बेलहर के रहने वाले फूलचन्द को एक माह पूर्व हुए नवजात शिशु को खरीदने हेतु कहा तो फूलचन्द ने पिन्टू को मना कर दिया तो पिन्टू ने उक्त बात मुझे तथा मेरी पत्नी संगीता को बताया। तब पैसे के लालच मे मैं तथा मेरी पत्नी एंव मेरे साढ़ू राजकुमार दिनांक 08.02.2026 को नरायनपुर पंहुचे वहां पर योगी बारी पुत्र रमेश निवासी छितौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व पिन्टू मिले। उसी समय फूलचन्द की पत्नी अपने नवजात बच्चे व तीन साल की एक लड़की के साथ बाजार आयी थी तो वहीं से हम लोगो ने योजना बनाकर मोटरसाईकिल से निकले तथा जंगल के पहले राजकुमार गाड़ी खड़ी कर रुक गया तथा मैं व मेरी पत्नी जंगल में आगे जाकर आड़ लेकर छिप गये कुछ देर बाद फूलचन्द की पत्नी जब हम लोगो के पास पहुंची तो नवजात शिशु उनसे छीन कर भाग गये। आगे आकर राजकुमार मोटरसाईकिल के साथ खड़ा था। हम तीनो लोग उसी मोटरसाईकिल से नवजात शिशु को लेकर राजकुमार के घर मैलानी जाकर रातभर रुके। मेरी पत्नी ने मोहिनी जायसवाल को बताया कि आपका काम हो गया है आप पैसा देकर के बच्चे को ले जाईये। बालू शासन पुल के पास नवजात शिशु को मोहिनी जायसवाल, चन्दन व अपने रिश्तेदार सत्यप्रकाश जायसवाल के साथ नवजात शिशु को लेने आयी थी। नवजात शिशु व पैसे का लेन देन कर रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

सादर
संदीप कुमार मीना
पुलिस अधीक्षक
जनपद संतकबीरनगर

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनों से 105,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनों से 105,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा जनपद के समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण के साथ गूगल मीट के माध्यम से आगामी महाशिवरात्रि पर्व, यक्ष ऐप तथा शांति व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत की गई आनलाइन गोष्ठी, दिये गये आवश्यक सख्त दिशा-निर्देश

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा दिनाँक 10.02.2026 को गूगल मीट के माध्यम से पुलिस बैठक आहूत की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*,** समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त चौकी प्रभारी, FSSO प्रभारी / LIU प्रभारी / DCRB प्रभारी / प्रभारी डायल 112, RI लाइन्स समेत अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण के साथ आगामी ***आगामी महाशिवरात्रि पर्व, यक्ष ऐप तथा शांति व कानून व्यवस्था*** के दृष्टिगत गोष्ठी की गयी।

गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए:-

1. महाशिवरात्रि पर्व एवं पीस कमेटी की बैठकें: समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु स्थानीय संभ्रांत व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।

2. सुरक्षा एवं सीसीटीवी निगरानी: थानाक्षेत्र के सभी मंदिरों का भौतिक निरीक्षण किया जाए, मंदिरों और मेला परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जहाँ कैमरे नहीं हैं, वहाँ तत्काल सीसीटीवी लगवाए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि कैमरों के साथ डीवीआर (DVR) अनिवार्य रूप से क्रियाशील हो।

3. मेला एवं भीड़ प्रबंधन: मेला स्थलों पर पुलिस बल की विधिवत ड्यूटी चार्ट तैयार कर तैनाती की जाए, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर ***खोया-पाया केंद्र*** स्थापित किए जाएं साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए।

4. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था: मंदिर और मेला परिसरों के आसपास लटकते या ढीले बिजली के तारों का निरीक्षण कर उन्हें संबंधित विभाग के समन्वय से तत्काल दुरुस्त कराया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

5. यक्ष ऐप एवं अपराध नियंत्रण: यक्ष ऐप के माध्यम से कार्यवाही करने तथा एच0एस0 सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए तथा गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी हेतु विशेष टीमों का गठन किया जाए और सर्विलांस सेल व एसओजी टीम की सहायता से उन्हें सकुशल बरामद करने के निर्देश दिए गए।

6. रात्रि गश्त: जनपद में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गश्त के दौरान बैंकों, एटीएम (ATM), ग्राहक सेवा केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों को नियमित रूप से चेक किया जाए, धार्मिक स्थलों एवं महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विशेष गश्त सुनिश्चित की जाए।

7. विवेचना एवं वैधानिक कार्यवाही:
लंबित विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण और एनबीडब्ल्यू (NBW) वारंटों के शत-प्रतिशत तामीली हेतु कड़े निर्देश दिए गए।